–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 211/2011

उनवान

1. धन्नी पत्नी भंवरलाल **(फौत तर्क)**
2. नारायण,
3. रामचन्द्र,
4. गोपाल,
5. भागचन्द पि. भंवरलाल
6. नंगी पुत्री भंवरलाल समस्त जाति रावत नि0 हाथीपट्टा , नसीराबाद
7. फूमी पुत्री हीरा जाति रावत नि. खापरी, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवकता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. शंकर पुत्र बोदू,
1/1. रमती पत्नी शंकर
1/2. लादू पुत्र शंकर समस्त जाति रावत नि0 हाथीपट्टा, नसीराबाद
1/3. बसन्ता पुत्री शंकर पत्नी शम्भू जाति रावत निवासी जाटिया, अजमेर।
2. प्रेम सिंह पुत्र छोटू सिंह, जाति रावत नि. हाथीपट्टा,
3. रहमान बेग पुत्र मुंशी बेग मुसलमान नि0 जिलावडा, नसीराबाद,
4. तुलसी पत्नी हरजी उर्फ हजारी रावत नि. तिलोरा, पुष्कर,
5. कमला पत्नी सांवरा पुत्री हरजी उर्फ हजारी रावत नि. तिलोरा, पुष्कर
6. शफीक बेग,
7. सरवर बेग,
8. सिकन्दर बेग
9. अजीज बेग पुत्र रहमान बेग, समस्त जाति मूसलमान नि. जिलावडा, नसीराबाद,
10. लादू उर्फ गागू पुत्र शंकर जाति रावत नि. हाथीपट्टा नसीराबाद,
11. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीनगर
12. उप पंजीयक, नसीराबाद,
13. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद
14. स्टेट बैंक आर्फ इण्डिया श्रीनगर, नसीराबाद

——— प्रतिवादीगण :– [illegible]
11 व 12 जरियें [illegible] शेष अनुपस्थित

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 [illegible] **1955**

–: निर्णय :– दिनांक :– 25/6/25

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:22:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हाथीपट्टा तहसील नसीराबाद में वादीगण की पुश्तेनी खातेदारी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

(अ)

चौसाला ख.न.	वंर्किग ख.न.	हाल ख.न.	रकबा
146	223	237	0.12
		238	0.13
164	227	274	0.06
165	228	273	0.06
494	589	1634	0.01
		1635	0.18
		1636	0.08
1053	1299	1679	0.28

(ब)

हाल ख.न.	रकबा
1638	0.10
1627	0.06
1594	0.15

चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 के अनुसार खतौनी नम्बर 128 के चौसाला खसरा नम्बर 146 रकबा 1–9–10 के वंर्किग खसरा नम्बर 223 के हाल खसरा नम्बर 237 रकबा 0.12 व 238 रकबा 0.13 की आराजी हीरा व भैरू व हजारी पि. लाला के नाम दर्ज है। जिसमें 1/3 हिस्सा हीरा पुत्र लाला का दर्ज है। जिसके वारिस वादीगण ही है। भैरू पुत्र लाला का भी 1/3 हिस्सा दर्ज है। जिसका वारिस रामा लाऔलाद फौत होने से आधे हिस्से के खातेदार वादीगण व 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 4 व 5 व तुलसी व कमला है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी। अतः उक्त हाल खसरा नम्बर के 1/2 हिस्से का खातेदार वादीगण को व 1/2 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को घोषित किया जावे।

चौसाला खसरा नम्बर 164 व 165 फसली खैवट खतौनी के अनुसार हीरा पुत्र लाला खुदकाश्त मालिक दर्ज है। चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2014 से 2017 के अनुसार खतौनी नम्बर 139 में खातेदार मौरूसी हीरा पुत्र लाला दर्ज है। चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2018 से 2021 की खतौनी नम्बर 496 के अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 164 व 165 हीरा पुत्र लाला शि0मु0 दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015 से 2018, 2019 व 2020 से 2022 के अनुसार हीरा पुत्र लाला के द्वारा काश्त दर्ज है। इस प्रकार उक्त आराजी हीरा पुत्र लाला के वारिस वादीगण के हक व हिस्से की है। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में हाल खसरा नम्बर 273 रकबा 0.06 व 274 रकबा 0.06 त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया। अतः उक्त आराजी का खातेदार वादीगण को घोषित [illegible] साथ ही वंर्किग खसरा नमबर 227 व 228 के हाल खसरा नमबर 273 व 27[illegible] हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण तैयार किया गया है। जिसकी दुरूस्ती [illegible]

अन्तिम चौसाला जमाबंदी 2022 से 2025 के अनुसार खतौनी [illegible] के चौसाला खसरा नम्बर 494 रकबा 1–13–10 के खातेदार हीरा व भैरू व हजारी पि. लाला दर्ज है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 599 में त्रुटिपूर्ण तरीके से [illegible] पुत्र लाला का 2 हिस्सा व रामा पुत्र भैरू का 1 हिस्सा दर्ज किया गया है। हीरा पुत्र लाला का हिस्सा वंर्किग जमाबंदी में दर्ज नही किया गया है। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर हरजी पुत्र लाला

—3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:22:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को 2 हिस्से का बेचान किया गया जबकि उसको 1/3 हिस्से का बैचान किये जाने का अधिकार था। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 1634, 1635 व 1636 में प्रतिवादी संख्या 3 रहमान बेग के नाम 1 हिस्सा ही दर्ज होना चाहिये।

चौसाला खसरा नम्बर 1053 जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 के अनुसार खतौनी नम्बर 28 में खातेदार खेम सिंह पुत्र मेन्दू सिंह के नाम दर्ज है जिसके द्वारा उक्त चौसाला खसरा नमबर पंजीबद्व बैनामा दिनांक 16.6.69 से वादीगण के पूर्वज भंवरलाल पुत्र हीरा को बैचान किया। वंर्किग जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पति व पिता हरजी पुत्र लाला के नाम फर्जी बैनामा दिंनाक 20.12.69 के अनुसार नामान्तकरण संख्या 76 दिनांक 20.05.2002 से गलत इन्द्राज किया गया। उक्त अवैध बैनामा व नामान्तकरण के आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पति व पिता हरजी पुत्र लाला के द्वारा वंकिग खसरा नम्बर 1299 का बैचान प्रतिवादी संख्या 3 को किया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 81 दिनांक 20.05.2003 स्वीकृत किया गया। उक्त खसरा नम्बर की आराजी पर आरम्भ से ही वादीगण काबिज है। अतः उक्त खसरा नम्बर का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे।

वाद पत्र के पैरा संख्या 1 के ब भाग में अंकित भूमि हाल खसरा नम्बर 1638, 1627, 1594 के खातेदार वादी संख्या 2 से 5 दर्ज व काबिज है। प्रतिवादी सख्या 1 उक्त आराजी पर बिना किसी हक व अधिकार के दखलदांजी कर रहा हैं। अतः प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर पतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 10 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि चौसाला खसरा नमबर 146 के हाल खसरा नमबर 237 व 238 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता ने हीरा पुत्र लाला से दिनांक 12.2.68 को जरियें विकय पत्र कय की थी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कय दिनांक से उक्त आराजी पर काबिज चले आ रहे है। हाल खसरा नम्बर 1638, 1627, 1594 पर विरासत के अनुसार काबिज है।

प्रतिवादी संख्या 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग खसरा नमबर 599 व 1299 के खातेदार हरजी पुत्र लाला से दिनांक 8.10.2002 को कय की थी। आराजी मुतनाजा पर जवाबकर्ता का कब्जा चला आ रहा है। विकय पत्र की पालना में जवाबकर्ता के नामनामान्तकरण संख्या 85 दिनांक 20.03.2003 अधिकार अभिलेख में अंकन किया गया। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब का जवाबुल जवाबं पेश कर वादीगण ने निवेदन किया कि वंर्किग खसरा नम्बर 1299 की भूमि हरजी पुत्र लाला को बैचान करने का अधिकार नही था। चौसाला खसरा नम्बर 1053 की भूमि हीरा पुत्र लाला द्वारा दिनांक 16.6.69 को कय की गयी। खसरा नम्बर 589 में वादीगण का 2/3 हिसा व हरजी पुत्र लाना का 1/3 हिस्सा है। अतः खसरा नम्बर 589 की समस्त भूमि हरजी पुत्र लाला को बैचान करने का अधिकार नही था।

शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे। वाद विचा[illegible] मृत पक्षकार के वारिस रिकार्ड पर लिये गये व नवीन पक्षका[illegible] प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी [illegible] 1 आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज [illegible] खातेदारी व मानचित्र दुरूस्ती के अधिकारी है ?

— वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:22:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

2. आया वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

— वादीगण

3. आया आराजी मुतनाजा प्रतिवादी पक्ष की कयशुदा व विरासत से प्राप्त होने के कारण वाद खारिज योग्य है ?

— प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, विक्रय पत्र पेश किये तथा नारायण का शपथ पत्र पेश किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 ने रहमान बेग का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u>

वादीगण का कथन है कि चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 के अनुसार खतौनी नम्बर 128 के चौसाला खसरा नम्बर 146 रकबा 1–9–10 के वंकिंग खसरा नम्बर 223 के हाल खसरा नम्बर 237 रकबा 0.12 व 238 रकबा 0.13 की आराजी हीरा व भैरू व हजारी पि. लाला के नाम दर्ज है। जिसमें 1/3 हिस्सा हीरा पुत्र लाला का दर्ज है। जिसके वारिस वादीगण ही है। भैरू पुत्र लाला का भी 1/3 हिस्सा दर्ज है। जिसका वारिस रामा लाऔलाद फौत होने से आधे हिस्से के खातेदार वादीगण व 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 4 व 5 है। वादीगण का कथन है कि हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी। किन्तु प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 10 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि चौसाला खसरा नम्बर 146 के हाल खसरा नमबर 237 व 238 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता ने हीरा पुत्र लाला से दिनांक 12.2.68 को जरियें विक्रय पत्र क्रय की थी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रय दिनांक से उक्त आराजी पर काबिज चले आ रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र अनुसार वादीगण के पूर्वज हीरा पुत्र लाला ने जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 12.2.68 को चौसाला खसरा नम्बर 146 रकबा 1–9–10 की आराजी शंकर पुत्र बोदू व छोटू पुत्र भोला को विक्रय कर दी थी। वादीगण द्वारा उक्त विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी हैं। चौसाला खसरा नम्बर 146 रकबा 1–9–0 हीरा व भैरू व हजारी पि. लाला के नाम दर्ज नही होकर केवल हीरा पुत्र लाला के नाम दर्ज था। फसली सम्वत् 1364, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2019, 2020 2015 मे उक्त आराजी अकेले हीरा पुत्र लाला के नाम ही दर्ज थी। उसके द्वारा पूर्व में ही उक्त आराजी का विक्रय कर दिया था अतः हाल खसरा नम्बर 237 रकबा 0.12 व 238 रकबा 0.38 का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता हैं।

चौसाला खसरा नम्बर 164 व 165 फ[illegible] लाला खुदकाश्त मालिक दर्ज है। चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2014 से [illegible] अनुसार खतौनी नम्बर 139 में खातेदार मौरूसी हीरा पुत्र लाला दर्ज है। चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2018 से 2021 की खतौनी नम्बर 496 के अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 164 व [illegible] हीरा पुत्र लाला शि0मु0 दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015 से 2018, 2019 व 20[illegible] 2022 के अनुसार हीरा पुत्र लाला के द्वारा काश्त दर्ज है। इस प्रकार उक्त आराजी हीरा पुत्र लाला के वारिस वादीगण के हक व हिस्से की है। हाल राजस्व अभिलेख में हाल खसरा नम्बर 273 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:22:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

06 व 274 रकबा 0.06 त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया। उक्त खसरा नम्बर प्रतिवादी के नाम किस प्रकार आया यह प्रतिवादीगण सिद्व नही कर पाये है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज ,त्रुटिपूर्ण अंकित करने का कोई अधिकार नही है। हाल खसरा नम्बर 273 रकबा 0.06 व 274 रकबा 0.06 पर वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण का यह भी कथन हे कि वंर्किग खसरा नम्बर 227 व 228 के हाल खसरा नम्बर 273 व 274 का हाल मानचित्र त्रुटिपूर्ण अंकित कर दिया है। किन्तु हाल राजस्व मानचित्र में क्या त्रुटि कोन सी भूजा व दिशा में की गयी है। यह वादीगण ने अपने वाद व साक्ष्य में स्पष्ट नही किया है। अतः वादीगण राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती के अधिकारी नही है।

अन्तिम चौसाला जमाबंदी 2022 से 2025 के अनुसार खतौनी नम्बर 128 के चौसाला खसरा नम्बर 494 रकबा 1–13–10 के खातेदार हीरा व भैरू व हजारी पि. लाला दर्ज है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 599 में त्रुटिपूर्ण तरीके से हरजी पुत्र लाला का 2 हिस्सा व रामा पुत्र भैरू का 1 हिस्सा दर्ज किया गया है। हीरा पुत्र लाला का हिस्सा वंर्किग जमाबंदी में दर्ज नही किया गया है। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर हरजी पुत्र लाला द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को 2 हिस्से का बेचान किया गया जबकि उसको 1/3 हिस्से का बैचान किये जाने का अधिकार था। वादग्रस्त आराजी चौसाला खसरा नम्बर 494 रकबा 1–3–10 के खातेदार हीरा व भैरू व हजारी पि. लाला दर्ज है। भैरू के पुत्र रामा की दिनांक 16.11.02 को लाओलाद मृत्यु हुयी थी। हरजी पुत्र लाला ने उक्त आराजी दिनांक 9.10.2002 को बैचान की उक्त दिनांक को विकेता का उक्त आराजी के 1/3 हिस्से पर ही अध्किार था किन्तु उसके द्वारा त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर पूर्ण हिस्सा बेचान किया गया। हीरा पुत्र लाला का उक्त आराजी पर पुश्तेनी 1/3 हिस्स व रामा पुत्र भैरू के लाऔलाद फौत होने पर उसके 1/3 हिस्से का 1/2 हिस्सा अलग से दर्ज होना था। अतः हाल खसरा नम्बर 1634, 1635 व 1636 के 1/2 हिस्से पर वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। 1/3 का खातेदार केता प्रतिवादी संख्या 3 रहमान बेग व 1/6 हिस्सा हरजी पुत्र लाला के वारिस प्राप्त करने के अधिकारी है।

चौसाला खसरा नम्बर 1053 जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 के अनुसार खतौनी नम्बर 28 में खातेदार खेम सिंह पुत्र मेन्दू सिंह के नाम दर्ज है जिसके द्वारा उक्त चौसाला खसरा नमबर पंजीबद्व बैनामा दिनांक 16.6.69 से वादीगण के पूर्वज भंवरलाल पुत्र हीरा को बैचान किया। वंर्किग जमाबंदी में उक्त विकय पत्र की पालना में वंर्किग खसरा नम्बर 1299 भंवरलाल पुत्र हीरा के नाम दर्ज किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य विकय पत्र दिनांक 20.12.1968 के अनुसार भंवरलाल पुत्र हीरा ने उक्त चौसाला खसरा नम्बर 1053 रकबा 2–0–0 मे से 1–9–0 की आराजी हरजी पुत्र लाला को बैचान कर दी थीं वंकिग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 76 दिनांक 20.5.02 से. खसरा नम्बर 1299 रकबा 1–9–0 केता हरजी पुत्र लाना के नाम दर्ज हुआ व हरजी पुत्र लाला द्वारा उक्त रकबा रहमान पुत्र मुंश को दिनांक 9.10.2002 को बेचान किये जाने से नामान्तकरण संख्या 85 दिनांक 20.10.03 से उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 3 के नाम [illegible] कि उनके द्वारा उक्त आराजी दिनांक 16.6.69 को कय की थी अतः उ[illegible]क 20.12.68 का विकय पत्र फर्जी है, किन्तु उक्त विकय पत्र [illegible]कार नही किया जा सकता हैं। वादीगण द्वारा उक्त विकय [illegible] कोई [illegible] नही की है। भंवरलाल पुत्र हीरा को उक्त [illegible] चुका था अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:22:38 IST
Reason: SelfAttested

—6

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उसके द्वारा पूर्व में किया गया बैचान अवैध नही माना जा सकता हैं। वादीगण के पूर्वज ने उक्त आराजी प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय की है। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 43 के अनुसार

"जहां कि कोई व्यक्ति कपट पूर्वक या, भूलवश यह व्यपदेश करताहै कि वह अमुक स्थावर सम्पत्ति को अन्तरित करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसी सम्पत्ति को प्रतिफलार्थ अन्तरित करने की प्रव्यंजना करताहै वहां ऐसा अन्तरण अन्तरिती के विकल्प पर किसी भी उस हित पर प्रवृत्त होगा जिसे अन्तरक ऐसी सम्पत्ति में उतने समय के दौरान कभी भी अर्जित करे जितने समय तक उस अन्तरण की संविदा अस्तित्व में रहती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा पर विक्रेता को बाद में खातेदारी प्राप्त होने से उसके द्वारा किया गया विक्रय वैध है। तथा वादी वर्तमान त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकारी है। अतः आराजी मुतनाजा में से कुछ आराजी बैंक में रहन दर्ज है किन्तु हाल इन्द्राज आंशिक त्रुटिपूर्ण सिद्व होने के कारण बैंक रहन का इन्द्राज निर्णय पर अप्रभावी है। हाल खसरा नम्बर 1679 रकबा 0.23 का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है। उक्तानुसार तनकी संख्या 1 आंशिक रूप से बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :-

हाल खसरा नम्बर 1638, 1627, 1594 के खातेदार वादी संख्या 2 से 5 है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज है। प्रतिवादी सख्या 1 उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त तथ्य को कोई खण्डन भी पेश नही किया है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित होने के कारण तनकी संख्या 2 बहक वादीगण निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 3 :-

तनकी संख्या 1 में आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर के स्वामित्व अधिकार का विस्तृत विवेचान किया जा चुका है। प्रतिवादी की कयशुदा आराजी का निर्णय उक्त तनकी में पूर्व में किया जा चुका है। अतः पुनः विस्तुत निर्णय की आवश्यकता नही है।

उक्तानुसार ग्राम हाथी पटटा की आराजी मुतनाजा पर वीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता हैं। ग्राम हाथी पट्टा के हाल खसरा नम्बर 273 रकबा 0.06 व 274 रकबा 0.06 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 1634 रकबा 0.01, 1635 रकबा 0.18 व 1636 रकबा 0.18 के 1/2 हिस्से पर वादीगण को, 1/3 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या 3 रहमान बेग व 1/6 हिस्सा का खातेदार प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को घोषित किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 1638 रकबा 0.38, 1627 रकबा 0.06 व 1594 रकबा 0.15 की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कबजे काश्त में दखलदांजी नही करे। तहसीलदार नसीराबा[illegible] दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय[illegible]की जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:22:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

धन्नी बनाम शंकर

दावा बाबत :— 88, 188, 91, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर — 211/2011
पेश करने की दिनांक — 2.11.2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक नौरतमल जैन मुद्दई सुखदेव चौधरी व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

उक्तानुसार ग्राम हाथी पटटा की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता हैं। ग्राम हाथी पट्टा के हाल खसरा नम्बर 273 रकबा 0.06 व 274 रकबा 0.06 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 1634 रकबा 0.01, 1635 रकबा 0.18 व 1636 रकबा 0.18 के 1/2 हिस्से पर वादीगण को, 1/3 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या 3 रहमान बेग व 1/6 हिस्सा का खातेदार प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को घोषित किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 1638 रकबा 0.38, 1627 रकबा 0.06 व 1594 रकबा 0.15 की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता हे कि आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कबजे काश्त में दखलदांजी नही करे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 6 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:22:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद